



क्र./स्था./एक/1038/2024/15605
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29-07-2024

संभागीय संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम, म.प्र.।

विषय:-श्री कमलेश पाटीदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद हरदा के विरुद्ध लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के संबंध में।

-000-

विषयांतर्गत कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक 9456 /स्था/2024 हरदा दिनांक 03.07.2024 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है का अवलोकन हो जिसमें लेख है कि:-

1. श्रीमती अनीता अशोक राठौर, पार्षद, नगर पालिका, हरदा द्वारा बिजली सामाग्री कि हल्की क्वालिटी एवं खरीदी में वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में, सफाई कार्य में उपयोग होने वाली सामाग्री के क्रय करने में की जा रही वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में एवं श्री अमरलाल रोचलानी, पार्षद, नगर पालिका, हरदा द्वारा आवासीय मद की भूमि पर व्यावसायिक शॉपिंग काम्प्लेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत प्रस्तुत की है जिसकी जांच समिति द्वारा की गई है। समिति का जांच प्रतिवेदन संलग्न है। प्रतिवेदन अनुसार साफ सफाई की सामाग्री क्रय में कुछ सामाग्रियों का कम प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर किया गया है एवं रहवासी मद की भूमि का प्रयोजन परिवर्तन किये बिना ही उक्त भूमि पर व्यवसायिक निर्माण किया जाना प्रतिवेदित किया है।
2. आम नागरिकों द्वारा मेरे समक्ष समय-समय पर नगर में साफ सफाई, उद्यानों के अनुरक्षण, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, आवारा पशुओं की समस्या के सम्बन्ध में श्री पाटीदार कि कार्यशैली के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है, और मेरे नगर भ्रमण के दौरान श्री पाटीदार को नगर पालिका के कर्तव्यों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, किन्तु श्री पाटीदार की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ है जिसके कारण नगर कि सफाई व्यवस्था में आवश्यक सुधार नहीं हो रहा है और पेयजल की उपलब्धता के सम्बन्ध में शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। जिसके कारण आम जन मानस में प्रशासन के प्रति असंतोष उत्पन्न हो रहा है।
3. श्री पाटीदार की कार्यशैली के कारण नगर पालिका परिषद में सदस्यों के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि नगर पालिका के कर्तव्यों के निर्वहन में अवरोध उत्पन्न हो रहा है एवं साथ ही नागरिकों के मध्य उक्त विवादों की जानकारी पहुंचने से शासन की छवि पर प्रतिकूल असर पड रहा है।
4. श्री कमलेश पाटीदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा के विरुद्ध प्राप्त हो रही शिकायतों से नगर पालिका परिषद के कार्य सुचारु रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं, जिससे कि शहर के नागरिकों के मध्य शासन की छवि प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही इनकी कार्यशैली से शहर में अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं एवं किसी भी समय कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की आशंका है।

उक्त संबंध में लेख है कि प्रकरण का परीक्षण कर अपने अभिमत सहित प्रतिवेदन संचालनालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

सहायक संचालक
संचालनालय, नगरीय प्रशासन
एवं विकास भोपाल (म.प्र.)

(कैलाश वानखेडे)

अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र.भोपाल



क्र./स्था./एक/1038/2024/25689

भोपाल, दिनांक 5/12/2024

प्रति,

स्मरण पत्र

संभागीय संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम, म.प्र.।

विषय:—श्री कमलेश पाटीदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद हरदा
के विरुद्ध लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के संबंध में।


संदर्भ:—संचालनालय का पत्र क्रमांक/स्था/एक/1038/2024/15005 दिनांक
29.07.2024 एवं पत्र क्रमांक 20247 दिनांक 24.09.2024

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो जिसके द्वारा कलेक्टर जिला हरदा के
पत्र क्रमांक 9456/स्था/2024 दिनांक 03.07.2024 द्वारा प्राप्त शिकायत का परीक्षण कर
अभिमत सहित प्रतिवेदन चाहा गया था जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

कृपया कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक 9456/स्था/2024 दिनांक
03.07.2024 में उल्लेखित विषय वस्तु का परीक्षण कर अपने अभिकत सहित प्रतिवेदन 03
दिवस में संचालनालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।


संलग्न:— उपरोक्तानुसार।


(मयंक शर्मा)

संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र.भोपाल



सहायक संचालक
संचालनालय, नगरीय प्रशासन
एवं विकास भोपाल (म.प्र.)


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग